कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम स्तर का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रणालियां स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी करना;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना,और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19 (क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19 (ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रक्टीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पंद्रह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 15

बैठकों की तारीखें : 25.04.2018, 22.05.2018, 28.06.2018, 03.07.2018, 25.07.2018, 10.08.2018, 19.09.2018, 22.10.2018, 05.11.2018, 14.11.2018, 26.12.2018, 22.01.2019, 01.02.2019, 06.03.2019, 22.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	15	15
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	15	15
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	15	14
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.06.2018 से)	13	12
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी, एसएआरसी (07.09.2018 से)	09	09
श्री संजीव मल्होत्रा	15	11
श्री भास्कर प्रामाणिक	15	13
श्री बसंत सेठ	15	14
श्री बी. वेणुगोपाल (07.06.2018 से)	13	05
डॉ. गिरीश के. आहूजा	15	06
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	15	13
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	15	12
श्री राजीव कुमार	15	01
श्री चन्दन सिन्हा	15	14

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	52	52
2.	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	13	09
3.	श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	52	48
4.	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	52	49
5.	श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.06.2018 से)	40	38
6.	श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (07.09.2018 से)	29	26
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	35
8	श्री बी. वेणुगोपाल (07.06.2018 से)	42	22
9	श्री चन्दन सिन्हा	52	29
निदेशकगण, जो सामान्यतः वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई।			
10	श्री भास्कर प्रामाणिक	36	36
11	श्री बसंत सेठ	20	20
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	24	24
13	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	23	23

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं: लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति एवं बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा तथा निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों के उपयुक्त होने की स्थिति। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठकें जब कभी भी आवश्यक हो, आयोजित की जाती हैं। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय समय पर, सामान्यतया तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन दर्ज करने वाले अभ्यर्थियों के उपयुक्त होने की स्थिति का पता लगाने के लिए नामांकन समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 19 सितंबर 2018 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है, जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

क. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

ख. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

ग. यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 का अनुपालन;

घ. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

ङ. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2018-19 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2019 को आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 11

बैठकों की तिथियाँ : 18.04.2018, 21.05.2018, 06.06.2018, 11.07.2018, 09.08.2018, 12.09.2018, 17.10.2018, 05.11.2018, 12.12.2018, 31.01.2019, 07.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. गिरीश आहूजा, समिति के अध्यक्ष	11	08
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडबी (25.07.2018 से)	08	08
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस(18.09.2018 तक)	06	06
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	05	05
श्री भास्कर प्रामाणिक	11	08
श्री बसंत सेठ	11	10
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	07	04
श्री राजीव कुमार	11	00
श्री चन्दन सिन्हा	11	10

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। गैर-कार्यकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तारीखें : 14.06.2018, 26.09.2018, 10.10.2018, 19.12.2018, 04.01.2019 और 22.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री संजीव मल्होत्रा-समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री बी. श्रीराम, एमडी-सीएंडजीबी, सदस्य (29.06.2018 तक)	01	01
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडबी (25.07.2018 से)	05	05
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	01	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	05	05
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	06	06
श्री भास्कर प्रामाणिक	06	04
श्री बसंत सेठ	06	04
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	05	01

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों के शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी का गठन 30 जनवरी 2001) को किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2018-19 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीख तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2018, 18.07.2018, 10.10.2018 और 11.01.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. पुष्पेन्द्र राय - समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक)	01	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान)	445
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या	निरंक
लंबित शिकायतों की संख्या:(न्यायालय के विचाराधीन शिकायतें)	निरंक
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री संजय अभ्यंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था।

इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान एससीबीएमएफ की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 16.05.2018, 16.08.2018, 31.10.2018 और 23.01.2019

निदेशक का नाम	*नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	*उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बसंत सेठ, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी	04	04
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरसी (19.09.2018 से)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	03
श्री बी. वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	03	01
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	00
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें आठ सदस्य हैं। एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 10.05.2018, 29.08.2018, 28.11.2018, 13.02.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
डॉ. पुष्पेन्द्र राय, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी	04	03
श्री बी. श्रीराम, एमडी-सीएंडजीबी (29.06.2018 तक)	01	00
श्री दिनेश कुमार खारा,एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.07.2018 से)	03	03
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	04
श्री बसंत सेठ	04	04
डॉ. गिरीश आहूजा	04	01
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	03

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति की बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

2) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य हैं;

4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

5) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और व्यवसाय संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तिथियाँ : 30.05.2018, 23.08.2018, 20.11.2018, 20.02.2019 और 27.03.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री भास्कर प्रामाणिक, समिति के अध्यक्ष	05	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीएंडजीबी (29. 06.2018 तक)	01	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (18.09.2018 तक)	02	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी (25.07.2018 से)	04	04
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी, एसएआरसी (19.09.2018 से)	03	02
श्री संजीव मल्होत्रा	05	01
श्री बी वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	04	01
डॉ. पुष्पेंद्र रॉय	05	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	05	03

बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख : 13.04.2018, 18.07.2018, 10.10.2018 और 11.01.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी, समिति के अध्यक्ष	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - जीबीएंडएस	04	04
श्री अरिजित बसु, एमडी - सीसीजीएंडआईटी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	03
श्री बसंत सेठ	04	02
श्री बी वेणुगोपाल (25.07.2018 से)	02	01
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 19 सितंबर 2018 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री बसंत सेठ और डॉ गिरीश के अहूजा शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक की बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-एसएआरसी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति, जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी का बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2018-19 के दौरान सात बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है। नामांकन समिति दिनांक 6 जून 2018 को आयोजित अपनी बैठक में श्री बी वेणुगोपाल को बैंक के शेयरधारक निदेशक नामित किया। समिति पिछली बार 19 सितंबर 2018 को पुनर्गठित की गई थी।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो, ऐसे प्रत्येक केन्द्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 को तीन स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष तेरह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 18 जनवरी 2019 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 40,000 रुपए का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 20,000 रुपए तथा इन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए 5,000 रूपए का बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलगनक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

1. बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धरा 19 (ग) के अंतर्गत एक शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति हेतु निदेशक के चयन को जून 2018 में सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष के दौरान नए निर्वाचित निदेशकों के लिए ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ साथ संगठनात्मक संरचना, बैंक के विभिन्न व्यवसाय समूहों एवं सहयोगी तथा अनुषंगियों, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण आदि शामिल था।

2. बोर्ड की परफॉरमेंस का मूल्यांकन: बोर्ड गवर्नेंस को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली गईं। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड की परफॉरमेंस के पैरामीटर निर्धारित करने में सहायता देने के साथ साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की। मूल्याकंन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड की परफॉरमेंस का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 24 मार्च 2019 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत बैंक के गवर्नेंस मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास को दोहराया गया और निदेशक बोर्ड तथा अध्यक्ष, बोर्ड एवं मैनेजमेंट के बीच मौजूदा सहयोग में भी भरोसा व्यक्त किया गया।

3. बैंकों के बोर्डों से गवर्नेंस के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए उद्योग की नवीनतम प्रवृत्ति से कदम मिलाकर चलते हुए आगे की राह निर्धारित करने के लिए ज्ञान सत्र और कार्यनीतिक कार्यशाला 25 एवं 26 फरवरी 2019 को बोर्ड के सदस्यों एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए मुंबई में आयोजित की गई।

इस कार्यशाला में अवसर एवं उद्देश्य-एक नेतृत्व प्रश्न, दिवालिया संहिता- एक रूपांतरकारी परिवर्तन-मामले एवं चुनौतियाँ, साइबर सुरक्षा-वक्र के आगे रहने के लिए आयाम एवं कार्यनीतियाँ विकसित करना, विश्लेषण के जरिए डाटा उन्मुख संगठन-प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखना तथा व्यवसाय संवृद्धि के लिए भावी मार्ग जैसे विषयों पर कई प्रकार के मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। बोर्ड के सदस्यों ने बैंक के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऋण सुपुर्दगी, सूचना सुरक्षा आदि के कार्य में बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की गईं:

i. दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 18 जून 2018 को मुंबई में उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-कार्यपालक निदेशकों को ऋण मूल्यांकन, वित्तीय अनुपात एवं संकेतक तथा परियोजना एवं आधारिक संरचना वित्तपोषण, रिटेल वित्तपोषण में जोखिम निर्धारण संबंधी विषयों के बारे में सुग्राही बनाना था।

ii. इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा पर आईडीआरबीटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गैर-कार्यपालक निदेशकों ने हिस्सा लिया। बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की आयोजना बनाने और उसे लागू करने में प्रबंधन को अपना योगदान देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा।

iii. कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त करने लिए बैंक द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं मीडिया प्रबंधन पर दिनांक 3 दिसंबर 2018 को स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र, कोलकाता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने हिस्सा लिया।

समय समय पर उभरने वाले प्रमुख चुनौतियों पर विषय के प्रमुख विशेषज्ञों से बातचीत करने की प्रथा के अनुरूप, आईएलएंडएफएस दबाव एवं निधियों पर प्रतिमोचन दबाव की पृष्ठभूमि के आलोक में म्यूचुअल फंड उद्योग के असर पर एक प्रस्तुति 17 अक्तूबर 2018 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) बैठक में एसबीआई फंडस मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी द्वारा की गई।

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिसिल द्वारा 4 जनवरी 2019 को आयोजित बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में "एवॉल्विंग लैंडस्केप एंड की इंपरेटिव्स-एनबीएफसी" पर प्रस्तुति दी गई।

फोरेंसिक लेखापरीक्षा करने वाली प्रमुख संस्थाओं के साथ 29 अगस्त 2018 को वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेसर्स डिलाइट टच, मेसर्स ग्रांट थोर्नटन, मेसर्स एर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी, मेसर्स केपीएमजी तथा मेसर्स चोक्सी एंड चोक्सी एलएलपी ने हिस्सा लिया। धोखाधड़ियों की पहचान एवं तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में इन संस्थाओं का बेहतर उपयोग करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा।

वित्त वर्ष 2018-19 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान (₹)

नाम	पीएफ नंबर	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया		अन्य	कुल
				2016-17	2017-18		
अध्यक्ष							
श्री रजनीश कुमार	7619901	27,00,000.00	2,49,750.00	0.00	0.00	4,000.00	29,53,750.00
प्रबंध निदेशकगण							
श्री बी. श्रीराम (29.06.2018 तक)	7614144	6,73,200.00	47,374.00	0.00	74,639.00	0.00	7,95,213.00
श्री पी. के. गुप्ता	7619715	26,14,800.00	2,41,869.00	19,344.00	1,10,853.00	0.00	29,86,866.00
श्री दिनेश कुमार खारा	8702764	25,39,200.00	2,34,876.00	0.00	32,226.00	0.00	28,06,302.00
श्री अरिजित बसु (25.06.2018 से)	7847890	18,89,680.00	1,87,735.60	0.00	0.00	0.00	20,77,415.60
श्रीमती अंशुला कान्त (07.09.2018 से)	7848420	13,96,720.00	1,44,190.80	0.00	0.00	0.00	15,40,910.80

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 28 जून 2018 को आयोजित वर्ष 2017-18 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरिजित बसु, श्री बसंत सेठ, डॉ. पुष्पेन्द्र राय और डॉ. पूर्णिमा गुप्ता। वर्ष 2016-17 की वार्षिक महासभा 27 जून 2017 और वर्ष 2015-16 की वार्षिक महासभा 30 जून 2016 को आयोजित हुई थी। एसबीआई अधिनियम और एसबीआई सामान्य विनियम 1955 पोस्टल बॅलेट सुविधा नहीं उपलब्ध कराता है।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जो वृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. बैंक की विसल ब्लोअर नीति सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा के मामले में भारत सरकार के मानदंडों के आधार पर है। कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है और उसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in / bank.sbi पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और bank.sbi पर भी प्रदर्शित किए गए थे। पूरी वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक अथवा डिपाजिटरियों के साथ अपने ई-मेल पते का पंजीकरण किया हो तथा अन्य शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	दिनांक 20.06.2019, समय 3.00 बजे स्थानः स्टेट बैंक सभागृह, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-400 021.
वित्तीय कैलेंडर	01.04.2018 से 31.03.2019
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सिगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (बॉड्स), सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	मेसर्स अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड
1 जुलाई 2018 से यूनिट का पता	अलंकित हाइटस, 205-208, अनार्कली कांप्लेक्स, ई/7, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110 055
बोर्ड फोन नंबर	011-42541234, 7290071335
ई-मेल पता	sbi.igr@alankit.com
पत्र-व्यवहार के लिए पता	भारतीय स्टेट बैंक, 14 मंजिल, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फोन नंबरः 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के विनियम 44(5) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही का वनवे लाईव वेबकास्ट करता हैं । वेबकास्ट सुविधा दिनांक 20 जून 2019 को दोपहर 3 बजे से उपलब्ध होगी और यह सुविधा शेयरधारकों को https://www.evoting.nsdl.com or bank.sbi से प्राप्त होगी।

वित्त वर्ष 2019 के दौरान पूंजी वृद्धि

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹38,16,000 (रुपए अड़तीस लाख सोलह हजार केवल) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹37,92,000 (रुपम सैंतीस लाख बानवे हजार केवल) शामिल है। यह 1 रुपए के 24,000 ईक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्त हुई , जिन्हें 18 मार्च 2008 को बंद किए गए राइटस इश्यू के विभिन्न स्वत्व विवाद अथवा अन्य पक्ष दावों के कारण लंबित रखा गया था। ईक्विटी शेयर 31 जनवरी 2019 को आबंटित किए गए।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2019 को बैंक के पास 1,21,07,135 जीडीआर से संबंधित 12,10,71,350 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	998	2,40,820
जोड़े : वर्ष के शुरू में ई-एसबीबीजे शेयरधारकों एवं उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों की संख्या	144	17,122
योग	1142	2,57,942
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	11	3,228
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	11	3,228
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1131	2,54,714

ऐसे शेयरों के सही मालिक द्वारा शेयरों का दावा किए जाने के समय तक ऐसे दावारहित शेयरों पर मतदान करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति विद्यमान है। यह बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर Corporate Governance > Policies लिंक पर उपलब्ध हैं।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2019 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 2.04% और एनएसई निफ्टी में 2.57% रहा।

बीएससी पर स्टॉक उतार-चढ़ाव (वित्त वर्ष 2018-19)

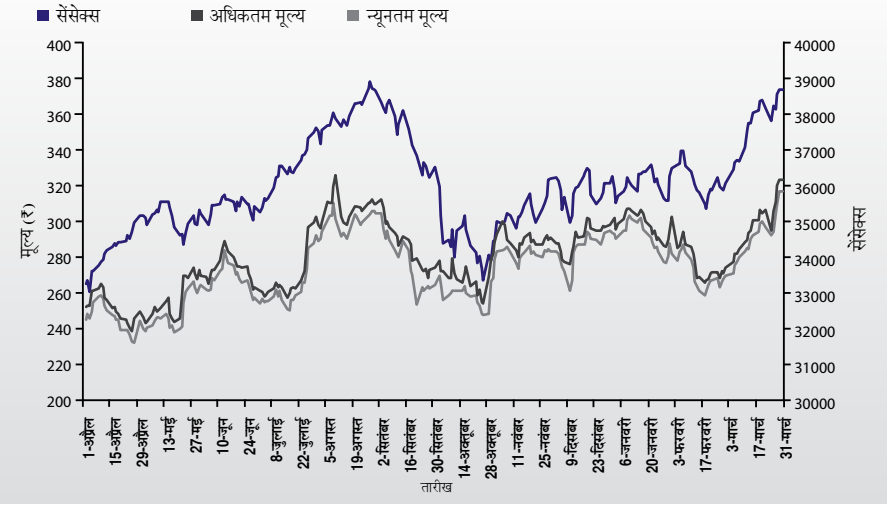

एनएसई पर स्टॉक उतार-चढ़ाव (वित्त वर्ष 2018-19)

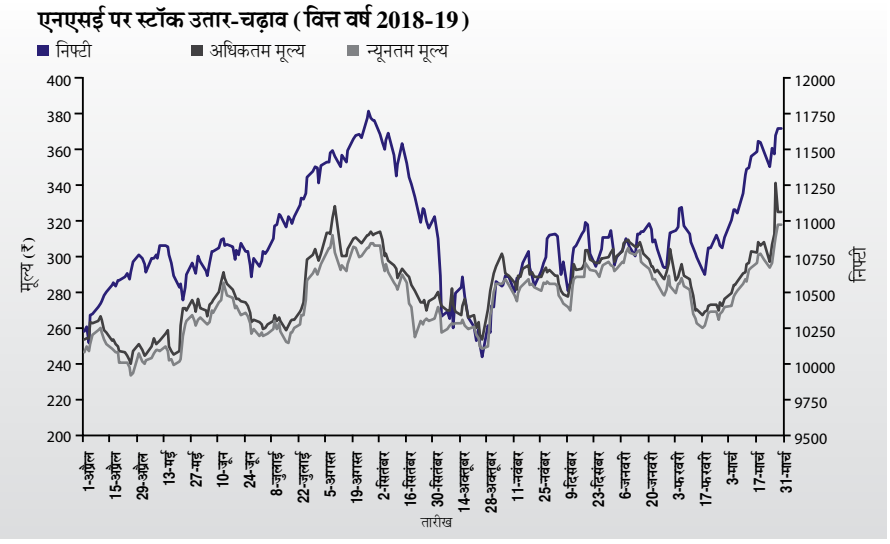

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) यूएस $	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-18	263.25	233.35	263.30	233.20	40.65	35.05
मई-18	272.25	239.20	272.05	238.85	39.20	34.70
जून-18	287.65	256.85	287.70	257.00	42.20	36.75
जुलाई-18	297.35	251.75	297.40	251.60	43.00	36.60
अगस्त-18	316.45	292.70	317.40	292.70	45.65	41.50
सितंबर-18	306.40	264.00	306.35	263.85	41.35	36.60
अक्तूबर-18	280.50	248.10	281.40	248.10	37.85	34.80
नवंबर-18	295.30	277.75	294.95	277.95	41.50	37.75
दिसंबर-18	300.40	273.40	300.70	274.20	42.60	37.30
जनवरी-19	305.10	280.75	305.55	280.60	43.60	39.40
फरवरी-19	288.20	259.75	289.05	259.95	41.05	37.05
मार्च-19	320.80	272.95	320.75	272.95	46.25	38.00

बही मूल्य प्रति शेयर ₹200.07

31 मार्च 2019 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	57.13
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.31
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	13.97
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	2.25
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	10.23
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.11
	कुल	**100.00**

31 मार्च 2019 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	57.13
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	9.21
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.25
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	2.43
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	2.06
6	एसबीआई-ईएफटी एनआईएफटी बैंक	1.87
7	बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन	1.36
8	बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कं. प्राइवेट लि.	0.96
9	गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल (एफ़आईआई)	0.64
10	कोटक म्यूचुअल फंड	0.64

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यतया इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है। 31.03.2019 को कुल ईक्विटी पूंजी का 99.04% भाग अर्थात 883,87,56,535 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	8,14,737	3,58,56,02,470	40.18
सीडीएसएल	4,83,915	5,25,31,54,065	58.86
कागज़ रूप में	2,05,721	8,58,54,999	0.96
कुल	**15,04,373**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31 मार्च 2019 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	₹ में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1497347	99.532	395301156	4.429
5001-10000	3544	0.236	25080721	0.281
10001-20000	1432	0.095	20006332	0.224
20001-30000	432	0.028	10643550	0.119
30001-40000	216	0.014	7616050	0.085
40001-50000	111	0.007	5118317	0.001
50001-100000	299	0.020	21672376	0.243
100001-उससे अधिक	992	0.066	8439173032	94.561
TOTAL	**1504373**	**100.00**	**8924611534**	**100.00**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स में सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले ब्याज दर डेरीवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप्स, फारवर्ड दर करार, कैप, फ्लोर तथा कॉलर शामिल है। बैंक द्वारा किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में मुद्रा स्वीप, रुपया-डॉलर ऑप्शनस तथा क्रॉस मुद्रा ऑप्शनस शामिल है। बैंक, अपने ग्राहकों को उनके जोखिम से बचाव करने के लिए हेडजिंग उत्पाद पेश करता है। उभयपक्षी स्थितियों को ऑप्शन या एमआइएफओआर बुक या अंतर बैंक द्वारा समर्थित किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स का प्रयोग ट्रेडिंग तथा तुलन पत्र मदों की हेडजिंग दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

डेरिवेटिव्स लेनदेनों में बाज़ार जोखिम निहित होता है अर्थात् विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण बेंक को होने वाली संभाव्य हानि तथा ऋण जोखिम, प्रति पक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण बैंक को होने वाली संभाव्य हानि। डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति', में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक लिमिट, लॉस लिमिट, कट-लॉस ट्रिगर्स, ओपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, संस्वीकृत, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए बैंक में विभिन्न समितियां/ विभाग गठित किए गए हैं। बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान, मापन, मानीटरिंग करता है, इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति में निर्धारित अनुपालन की रिपोर्टिंग करता है।

डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन नीति आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है, इसका विवरण अनुसूची 17: वित्त वर्ष 2019 के लिए 'प्रिन्सिपल एकाउंटिंग पोलिसीस' (पीएपी) में दिया गया है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण

1. बैंक की केंद्रीय बोर्ड दिनांक 6 मार्च 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों में संशोधन के अनुसार बोर्ड स्तरीय विभिन्न समितियों यथा लेखापरीक्षा, शेयरधारक संबंध, जोखिम प्रबंधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा विचार किए जाने वाले विषयों/समितियों की भूमिका की समीक्षा की और अनुमोदन किया।

2. सूचीकरण विनियम के विनियम 24 क के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

3. सभी ऋण लिखतों के लिए प्राप्त की गई ऋण श्रेणी में कोई भी संशोधन नहीं है।

4. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन अथवा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए पूंजी नहीं जुटाई है। अतः निधियों के उपयोग के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

5. बैंक ने सूचीकरण विनियम के विनियम 34 एवं अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति किए जाने से विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न)।

6. स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित किए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक https://sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/regulatory-disclosures के अधीन दिया गया है।

7. सूचीकरण विनियम की अनुसूची V के पैरा सी, खंड 10 (ट) के अनुसार वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षाओं को अदा किया गया कुल शुल्क केवल 6,11,17,156 रुपए है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2019 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं । श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 42 वर्ष का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री भास्कर प्रामाणिक

(जन्म दिनांकः 20 मार्च 1951)
श्री प्रामाणिक को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग स्नातक है। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग का 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बोर्ड के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने ओरेकल तथा सन माइक्रोसिस्टम्स के प्रबंध विदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री बसंत सेठ

(जन्म दिनांक :16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे एक सनदी लेखाकार हैं। श्री सेठ को सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम कॉरपोरेट अभिशासन तथा प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग एवं वित्त में 40 वर्ष का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में आने से पहले वे केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वे सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक रहे हैं। उन्होंने सिडबी तथा बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।

श्री बी वेणुगोपाल

(जन्म दिनांक :18 मई 1959)
श्री वेणुगोपाल को 07 जून 2018 से 25 जून 2020 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया। वे केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स और कॉस्ट अकाउंटेंसी में स्नातक हैं। इस समय वे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीमा, वित्त और आईटी में 30 वर्ष से अधिक वर्ष का अनुभव है।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)
डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 06 फरवरी 2019 से एक वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। डॉ आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 46 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)
डॉ. पुष्पेन्द्र राय भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 06 फरवरी 2019 से एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 38 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी.और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 1 फरवरी 2018 से 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने बीएससी (गणित) एवं एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनका मुख्य योगदान थियोरी ऑफ डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइफर ग्राफ्स, ग्राफोड़ियल कावर्स एंड पार्टिशन ग्राफ्स के क्षेत्र में है।

श्री राजीव कुमार

(जन्म दिनांक :19 फरवरी 1960)
श्री राजीव कुमार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 12 सितंबर 2017 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव कुमार सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत है।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफआरएएल के अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (1) के उचित अनुपालन में 31.03.2019 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	बैंक सहित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017/ 06.10.2020	अध्यक्षः 02
2	श्री पी.के.गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015/ 31.03.2020	निदेशक 02 समिति सदस्य 02
3	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक डी-II किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006.	09.08.2016/ 08.08.2019	निदेशक 02 समिति सदस्य 02
4.	श्री अरिजित बसु	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	25.06.2018/ 31.10.2020	निदेशक 01
5.	श्रीमती अंशुला कांत	प्रबंध निदेशक डी-08 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.09.2018/ 30.09.2020	निदेशक 01 समिति सदस्य 02
6.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक 01 समिति सदस्य 01
7.	श्री भास्कर प्रामाणिक	आईटी व्यवसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर-28 गुरुग्राम-122002	26.06.2017/ 25.06.2020	निदेशक 03 समिति अध्यक्ष 01 समिति सदस्य 03
8.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ्लैट क्र. 304, कल्पना टावर 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशकः 03 समिति सदस्य :03
9.	श्री बी वेणुगोपाल	प्रबंध निदेशक, जीवन बीमा निगम 1, ओवल व्यू महर्षि कर्वे रोड चर्चगेट, मुंबई - 400 002	07.06.2018 / 25.06.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 03
10.	डॉ गिरीश के आहूजा	सनदी लेखाकार, मेसर्स जी.के. अहूजा एंड को., ई-6ए, एलजीएफ, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली 110 048	28.01.2016 / 05.02.2020	निदेशक : 02 समिति के अध्यक्षः02 समिति सदस्य : 01
11.	डॉ पुष्पेंद्र राय	विकास विशेषज्ञ, (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	28.01.2016 / 05.02.2020	निदेशक : 01 समिति के अध्यक्ष :01
12.	डॉ पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित ए-1/2 पंचशील एनक्लेव नई दिल्ली - 110017	01.02.2018 / 31.01.2021	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
13.	श्री राजीव कुमार भारत सरकार नामिती	सचिव, (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	12.09.2017 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
14.	श्री चंदन सिंहा भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती	अपर निदेशक सीएएफआरएएल, भारतीय रिज़र्व बैंक सी-8, 8 वीं मंजिल, बांद्रा- कुर्ला परिसर बांद्रा (पू) मुंबई- 400051.	28.09.2016 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01

अनुलग्नक II ए

31.03.2019 को निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/ सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
5	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	--
7	बैंकिंग निर्यात-आयात संस्थान	निदेशक	--
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड)	--
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	एमआईबीएम गवर्निंग बोर्ड -सदस्य	एमआईबीएम वित्त समिति-अध्यक्ष एमआईबीएम स्थायी समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	उप अध्यक्ष, प्रबंधन समिति	कानूनी एवं बैंकिंग परिचालनों पर भारतीय बैंक संघ की स्थायी समिति - अध्यक्ष
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	
12	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस	सदस्य/अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल	
13	मैनेजमेंट डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट	सदस्य, गवर्नर बोर्ड	
14	ईसीजीसी लिं.	निदेशक, गवर्नर बोर्ड	
15	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महा निदेशालय	व्यापार बोर्ड - सदस्य	
16	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	फइनैंशियल इंक्लूशन फंड (एफआईएफ) परामर्श बोर्ड - सदस्य	
17	नैश्नल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	गवर्निंग काउंसिल- सदस्य	
18	महाराष्ट्र सरकार	फिंटेक के माननीय मुख्य मंत्री के परामर्श काउंसिल - सदस्य	

2. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/ अध्यक्ष	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि के मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
3	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधरक सुरक्षा समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति-सदस्य
4	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी सामान्य परिषद -सदस्य
5	भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य	एमएसएमई पर विशेषद समिति
6	भारत सरकार, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य	जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर अध्ययन समिति

3. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य निदेशक समिति-अध्यक्ष मानव संसाधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
4	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं परिश्रमिक समिति-सदस्य मानव संसाधन समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
5	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बैंक एश्यूरेंस समिति-सदस्य लेखापरीक्षा समिति-सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
6	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
7	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
8	एसबीआई फंडस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	मानव संसाधन उप-समिति-सदस्य
9	एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	;
10	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कार्यकारी समिति-सदस्य
11	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यकारी समिति-सदस्य

4. श्री अरिजित बसु

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य

5. श्रीमती अंशुला कान्त

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य नामांकन समिति-सदस्य
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेर फस्ट इन्शोरेंस लिमिटेड (श्रीलंका)	निदेशक	-

7. श्री भास्कर प्रामाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	सांक्या इन्फोटेक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य
3	टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी	निदेशक	प्रौद्योगिकी समिति-अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य

8. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	रोटो पंप्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एकांउटस स्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
4	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स)	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य सार्वजनिक हित निदेशक समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य निवेश संरक्षण निधि न्याय-सदस्य

9. श्री. बी. वेणुगोपाल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कार्यकारिणी समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य शेयरधारक समिति-सदस्य
3	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	निदेशक	--
4	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
5	लाइफ इंशोरेंस कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	निदेशक	कार्यकारिणी समिति-अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य
6	नैशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	निदेशक	--
7	एलआईसी इंटरनैशनल बीएससी (सी), बहरीन	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

10. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य
2	फ्लेर पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	-
3	अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
4	देवयानी फुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निदेशक	-
5	आर जे कॉर्प लिमिटेड	निदेशक	-

11. डॉ. पुष्पेंद्र रॉय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति-अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य नामांकन समिति-सदस्य

12. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति- सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य

13. श्री राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य वसूली की निगरानी हेतु समिति की बोर्ड- सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य
2	भारतीय रिजर्व बैंक	निदेशक	-
3	नाबार्ड	निदेशक	-

14. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की पारिश्रमिक समिति-सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।

अनुलग्नक-III

31.03.2019 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	500
2	श्री पी के गुप्ता	4900
3	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
4	श्री अरिजित बसु	710
5	श्रीमती अंशुला कान्त	2000
6	श्री संजीव मल्होत्रा	18400
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	15000
8	श्री बसंत सेठ	5000
9	श्री बी वेणुगोपाल	5000
10	डॉ. गिरीश के आहूजा	3000
11	डॉ. पुष्पेंद्र राय	0
12	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
13	श्री राजीव कुमार	0
14	श्री चंन्दन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	2,80,000.00	6,55,000.00	9,35,000.00
2	श्री भास्कर प्रामाणिक	3,20,000.00	7,90,000.00	11,10,000.00
3	श्री बसंत सेठ	3,60,000.00	6,00,000.00	9,60,000.00
4	श्री बी वेणुगोपाल	1,20,000.00	4,00,000.00	5,20,000.00
5	डॉ. गिरीश के आहूजा	1,40,000.00	1,25,000.00	2,65,000.00
6	डॉ. पुष्पेंद्र राय	3,20,000.00	6,45,000.00	9,65,000.00
7	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	3,00,000.00	4,90,000.00	7,90,000.00
8	श्री चंन्दन सिन्हा	3,60,000.00	4,70,000.00	8,30,000.00

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2018-19) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण-निवारण, प्रतिबंध एवं समाधान-वर्ष 2018-19 की स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	05
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	26
मामलों की कुल संख्या	31
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	22
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	09

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी सर्कुलर सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहाँ इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड-कार्यप्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहाँ इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है:

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहाँ तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहाँ तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूत निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 # ;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 # ;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996;

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियम, 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम, 1993;

ड़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993;

ढ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू ए इशू) विनियम, 1994;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015.

विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश ।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 "सूचीकरण विनियम" के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू हैं:

क. बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में चौदह (14) निदेशक होते हैं, जिनमें से एक (01) कार्यकारी अध्यक्ष होता है; चार (04) प्रबंध निदेशक; चार (04) शेयरधारक निदेशक; तीन (03) अधिनियम की धारा 19 (घ) के अनुसार केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित निदेशक; अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अनुसार केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित एक (01) निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार (प्रमोटर) द्वारा नामित एक

(01) निदेशक अधिनियम की धारा 19 (च) बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) और धारा 19 (च) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों को केंद्रीय विनियमन और इसकी समितियों के उद्देश्य के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सूचीबद्ध करता है।

ख. बैंक की लेखा परीक्षा समिति में आठ (08) निदेशक, दो (02) कार्यकारी निदेशक, एक (01) सरकारी नामित निदेशक और पांच (05) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 के अनुसार , ऑडिट समिति में स्वतंत्र निदेशकों के कम से कम दो-तिहाई (छह) (06) शामिल होने चाहिए।

ग. सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, बैंक ने सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाकर्ता के संरक्षण (पीआयडीपीआय) संकल्प, 2004 के प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया है। उक्त नीति को बैंक के इंट्रानेट पर उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।

घ. बैंक को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और एसबीआई के सामान्य विनियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है, जो सभी शेयरधारकों के संकल्प के संबंध में, अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान नहीं करता है।

ङ. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2011 के दौरान पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (ई-एसबीटी) (अब बैंक में विलय) के अशोक नगर शाखा को दो शो कॉज नोटिस दिए थे, जो कथित रूप से मार्च, 2009 और अगस्त, 2010 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में की गई अनियमितताओं के संबंध में था। और बैंक ने तदनुसार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुतियां दी थीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्णय प्राधिकारी ने फेमा अधिनियम 1999 की धारा 13 (1) के संदर्भ में कथित अनियमितता के लिए अपने 31 मई 2018 के आदेश के अनुसार बैंक पर रुपए 7,00,00,000/-(रुपए सात करोड़ मात्र) का जुर्माना लगाय था। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पढ़ी गई धारा 47 (क) (1) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, 20 फरवरी, 2018 से प्रभावी स्विफ्ट लेनदेन लॉग के लिए 226 "कम तीव्रता वाली शाखाओं" में दैनिक सुलह के विलंबित क्रियान्वयन के लिए बैंक पर कुल मिलाकर ₹1,00,00,000/ - (रुपए एक करोड़ मात्र) का जुर्माना लगाया। तदनुसार कथित जुर्माने का बैंक द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

उपर्युक्त को देखते हुए बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि में केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने, कार्यसूची पर पर्याप्त सूचना अग्रिम रूप से भेजी जाती है और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय किए गए थे और कार्यविवरण की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं पाया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं/कार्यों को पूरा किया है:

i. 13 अप्रैल, 2018 को बैंक की केंद्रीय बोर्ड ('ईसीसीबी') की कार्यकारी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में टियर 1 ('T1') बॉन्ड्स के ₹80,00,00,00,000/- (रुपए आठ हजार करोड़) के इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने की अवधि में विस्तार के लिए मंजूरी दे दी थी। इसी प्रकार बैंक ने ₹73,17,30,00,000/- (रुपए सात हजार तीन सौ सत्रह करोड़ और तीस लाख केवल), गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल-III अनुपालित, एटीआई बॉण्ड ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपए) डिबेंचर की प्रकृति में निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से और बाद में उपरोक्त बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

ii. बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की 22 अक्तूबर 2018 की बैठक में ₹50,00,00,00,000/- (रुपए पांच हजार करोड़) अतिरिक्त टियर-II बांड के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दी थी। इसी प्रकार बैंक ने 2 नवंबर 2018 को ₹41,15,90,00,000 /- (रुपए चार हजार एक सौ पंद्रह करोड़ और नब्बे लाख केवल) गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूत, बेसल-III अनुपालित, अतिरिक्त टियर-II बांड ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपए) डिबेंचर की प्रकृति में निजी प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से और बाद में उपरोक्त बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

iii. बैंक इकाई की ईसीसीबी ने 12 दिसंबर 2018 की बैठक में 1.25 बिलियन यूएस डॉलर तक के इंटरनेशनल बॉन्ड्स नियम 144A/ Reg-S के अंतर्गत मंजूरी दी। बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से 24 जनवरी 2019 को बांड जारी किए और बॉन्ड्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध हैं।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एस.एन. भंडारी
पार्टनर
एफसीएस संख्या: 761; सीपी नंबर: 366

मुंबई: 10 मई, 2019

यह रिपोर्ट हमारे सम-तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जिसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम-तिथि को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। परीक्षण के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के पालन द्वारा हम अपने अभिमत को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एसएन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस संख्याः 761; सीपी नंबरः 366
मुंबईः 10 मई, 2019

प्रति,
भारतीय स्टेट बैंक के सदस्य,

विषयः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीगत जिम्मेदारियां एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 तथा अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र

हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर तथा सेबी के विनियम 34 के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ कारपोरेट मामलों का मंत्रालय/ या किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के केंद्रीय बोर्ड के किसी भी निदेशक को नियुक्त होने या उस पद पर बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

कृते भंडारी एंड असोसियेट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

एस.एन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस नं. 761, सीपी नं. 366
मुंबई: 10 मई, 2019

कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हम,जे.सी.भल्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 001111 एन), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कारपोरेट केंद्र स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन 400021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है,जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15 (2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यालय तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक में उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है न ही वह उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है,जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
जे.सी. भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 001111 N

राजेश सेठी
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085669

स्थानः मुंबई
दिनांकः10 मई, 2019